न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2023 **जीसीएमएस नम्बर 2023/65**

अनवान

1. जबरनदान पुत्र सांवलदानजी।
2. विक्रमदान पुत्र सांवलदानजी जातियांन–चारण, साकिनांन–जाजूसन, तहसील सांचौर।

प्रार्थीगण.....

1. सांवलदान पुत्र मोडदानजी, कौम–चारण, साकिन–जजूसन, तहसील–सांचौर।
2. आम्बाराम पुत्र भेराराम, कौम कुम्हार (प्रजापति), साकिन–कोड, तहसील–सांचौर।
3. करसनराम पुत्र मनजीराम, कौम पुरोहित, निवासी– सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर।
4. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा–सांचौर।
5. उपपंजीयन अधिकारी, सांचोर।
6. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर।

अप्रार्थीगण.....

प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा एवं जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

रजु तारीखः–25.07.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री अमजद खान।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा।
4. अप्रार्थी संख्या 4 से 6 एकपक्षीय।

–:निर्णयः–

दिनांकः– **16.03.2026**

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– प्रार्थीगण ग्राम जाजूसन, तहसील सांचौर, जिला जालोर के निवासी हैं। वादग्रस्त भूमि उनके पडदादा प्रभूदान पुत्र पूरदानजी के नाम से पैतृक रूप से चली आ रही है, जो बाद में उत्तराधिकार से दादा मोडदान तथा पिता सांवलदान को प्राप्त हुई। वर्तमान में यह भूमि नवीन खसरा नंबर 07, 24 व 435/7 कुल रकबा 5.15 हैक्टर के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण का उक्त पैतृक संपत्ति में 1/3–1/3 हिस्सा है तथा वे मौके पर कब्जा काश्त व निवास करते आ रहे हैं। किंतु अप्रार्थी संख्या–1 ने बिना कानूनी अधिकार के खसरा नंबर 07 में से 0.96 हैक्टर भूमि पीरचंद को बेच दी, जो आगे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को हस्तांतरित हुई। उक्त भूमि में से कुछ भाग भारतमाला सड़क हेतु अधिग्रहित हो चुका है तथा शेष खसरा नंबर 546/435 रकबा 0.17 हैक्टर बचा है। हाल ही में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को पुनः बेचने का प्रयास

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

कर प्रार्थीगण को कब्जा खाली करने हेतु धमकाया जा रहा है। जबकि वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति है और प्रार्थीगण का उस पर वैधानिक अधिकार व कब्जा है, अतः अप्रार्थियों द्वारा किया गया विक्रय अवैध व विधि विरुद्ध है। मूल वाद के निर्णय में समय लगने की संभावना है, इसलिए यदि तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होने से न्यायालय से निवेदन है कि वाद के अंतिम निर्णय तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी, विक्रय या अन्य हस्तांतरण करने से रोका जाए तथा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्रदान किया जाए।

2. उक्त प्रकरण दिनांक 25.07.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाकर तलब किया, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अवतरण संख्या 01 राजस्व रिकॉर्ड की पुष्टि तक स्वीकार है, शेष तथ्य अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी होना साक्ष्य से सिद्ध किया जाना आवश्यक है। अवतरण संख्या 02 अस्वीकार है। अवतरण संख्या 03 आंशिक रूप से स्वीकार है। यदि भूमि पुश्तैनी भी सिद्ध हो, तब भी खातेदार सांवलदान को अपने हिस्से की भूमि बेचने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। सांवलदान ने वैध रूप से खसरा नं. 7 में से 0.96 हैक्टेयर भूमि पीरचन्द को बेची, जिसे बाद में हमने विधिवत रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण भी विधिसम्मत दर्ज हुआ। अवतरण संख्या 04 अस्वीकार है। प्रत्येक खातेदार को अपने हिस्से की भूमि का विक्रय/हस्तांतरण करने का अधिकार है। हमारी खरीद वैध है और बिना बेचान दस्तावेज निरस्त किए प्रार्थीगण का दावा चल नहीं सकता। अवतरण संख्या 05 अस्वीकार है। हमने वर्ष 2011 में खसरा नं. 435/7 रकबा 0.96 हैक्टेयर भूमि विधिवत खरीदी तथा तब से लगातार शांतिपूर्वक कब्जा व उपयोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। अवतरण संख्या 06 अस्वीकार है। कब्जा हमारा होने से धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। राजस्व रिकॉर्ड व मौके का कब्जा हमारे पक्ष में है, अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन हमारे पक्ष में है तथा प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति नहीं है। अतः प्रार्थीगण का दावा निराधार, असंगत एवं अपोषणीय होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

4. बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण ग्राम जाजूसन के निवासी हैं तथा वादग्रस्त भूमि उनके पडदादा से उत्तराधिकार में प्राप्त पैतृक संपत्ति है, जिसमें उनका 1/3–1/3 हिस्सा व कब्जा है। अप्रार्थी संख्या–1 ने बिना अधिकार 0.96 हैक्टेयर भूमि बेच दी, जो आगे अप्रार्थी 2 व 3 को हस्तांतरित हुई, जिसमें से कुछ भूमि अधिग्रहित होकर शेष 0.17 हैक्टेयर बची है। अप्रार्थीगण अब पुनः विक्रय का प्रयास कर प्रार्थीगण को कब्जा खाली

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि विक्रय अवैध है। अतः अपूरणीय क्षति से बचाव हेतु न्यायालय से निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को दखल, विक्रय या हस्तांतरण से रोका जाकर यथास्थिति बनाए रखी जाए।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने दौराने बहस उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का जवाब यह है कि प्रार्थना पत्र के अवतरण 01 आंशिक रूप से (राजस्व रिकॉर्ड तक) स्वीकार हैं, शेष अस्वीकार हैं तथा प्रार्थीगण को अपने दावे साक्ष्यों से सिद्ध करना होगा। अप्रार्थीगण का कहना है कि सांवलदान को अपने हिस्से की भूमि बेचने का पूरा कानूनी अधिकार था। उक्त भूमि विधिवत रजिस्टर्ड दस्तावेज से पहले पीरचन्द को तथा बाद में अप्रार्थीगण को बेची गई, जिस पर उनका वैध कब्जा व नामांतरण दर्ज है। अप्रार्थीगण वर्ष 2011 से लगातार भूमि पर कब्जा व उपयोग कर रहे हैं, जबकि प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है और न ही किसी प्रकार की धमकी दी गई है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व कब्जा अप्रार्थीगण के पक्ष में है, इसलिए प्रार्थीगण का दावा निराधार होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

6. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। एवं उस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली– भांति अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। अतः हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नालिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के आधार पर विवेचना करते हुए निर्णित करना उचित समझते है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया है ओर मूल दावा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया गया है प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी प्रभूदान पुत्र पूरदानजी जाति चारण निवासी जाजूसन के नाम की होना बताया है तथा प्रार्थीगण के प्रभूदान पड़दादा होने का कथन किया है, जबकि प्रार्थीगण की ओर से एक भी ऐसा दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह दर्शित करता है कि प्रार्थीगण के पड़दादा प्रभुदान हो, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब के साथ बैचान दस्तावेज (खातेदारी खेत) की नकल पेश की जिसके अनुसार पीरचन्द पुत्र मिश्रीमल भंसाली जाति ओसवाल निवासी हाड़ेचा ने करसनराम पुत्र मनजीराम जाति पुरोहित निवासी सिद्धेश्वर व अम्बाराम पुत्र भेरारामजी जाति प्रजापत निवासी कोड़ तहसील सांचौर को मौजा जाजूसन के खेत खसरा संख्या 435/7 रकबा 0.96 हैक्टेयर आराजी प्रतिफल राशि सात लाख प्राप्त कर दिनांक 18.08.2011 को बैचान कर खरीददार का मौके पर कब्जा करवा दिया गया है जो उक्त बैचान दस्तावेज उपपंजियक सांचौर के समक्ष पंजियन किया गया तथा उक्त बैचान दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया तथा उक्त वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 435/7 रकबा 0.96 हैक्टेयर में से रकबा 0.7866 हैक्टेयर भूमि भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम अवाप्त होने तथा आवप्ति राशि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 आम्बाराम व करसनराम द्वारा प्राप्त करने पर रकबा 0.7866 हैक्टेयर भारतमाला परियोजना के नाम राजस्व एजेन्सी द्वारा अलग से तरमीम की गई जिसके नये खसरा संख्या 545/435 रकबा 0.7866 हैक्टेयर किस्म

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

गैर मुमकीन सड़क भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई तथा शेष आराजी खेत खसरा संख्या 546/435 रकबा 0.1734 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 क्रमशः आम्बाराम व करसनराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई तथा इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 24 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा संख्या 7 रकबा 2.46 हैक्टेयर की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 सांवलदान पुत्र मोड़दान जाति चारण सा. देह खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 सद्भावी क्रेता तथा रेकॉर्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 1 भी वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 7 व 24 के रेकॉर्डेड खातेदार होने से किसी भी सद्भावी क्रेता तथा रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण अपने हक में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में पूर्णतयाः असफल रहे है अतः उक्त बिन्दु का निर्णय प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :— हस्तगत मामलें में प्रार्थीगण विवाहित आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में पूरी तरह से असफल रहे है तथा वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 546/435 रकबा 0.1734 हैक्टेयर आराजी के अप्रार्थी संख्या 2 व 3 रेकॉर्डेड खातेदार है। तथा खेत खसरा संख्या 7 व 24 की आराजी के अप्रार्थी संख्या 1 रेकॉर्डेड खातेदार होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है अतः उक्त बिन्दु का निर्णय भी प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

अपूरणीय क्षति :— हस्तगत मामलें में प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में साबित करने में पूरी तरह से असफल रहे है तथा बैचान दस्तावेज अनुसार पीरचन्द ने आम्बाराम व करसनराम को मौजा जाजूसन के खेत खसरा संख्या 435/7 रकबा 0.96 हैक्टेयर आराजी प्रतिफल राशि सात लाख प्राप्त कर दिनांक 18.08.2011 को बैचान खरीददार का मौके पर कब्जा करवा दिया है, जो उक्त बैचान दस्तावेज उप पंजीयक सांचौर के समक्ष पंजियन होने तथा राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज होने के बाद उक्त आराजी में से रकबा 0.7866 हैक्टेयर भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम अवाप्त होने एवं अवाप्त राशि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 क्रमशः आम्बाराम व करसनराम को प्राप्त होने के बाद राजस्व ऐजेन्सी द्वारा अलग से भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर नये खसरा संख्या 545/435 रकबा 0.7866 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन सड़क दर्ज की गई तथा शेष आराजी खेत खसरा संख्या 546/435 रकबा 0.1734 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई तथा इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 24 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा संख्या 7 रकबा 2.46 हैक्टेयर की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 सांवलदान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उनकी खातेदारी भूमि के उपयोग—उपभोग, बैक से ऋण प्राप्ति, रहन मुक्ति करने से रोका गया तो प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण को ही भारी असुविधा व अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। इसलिए उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज योग्य है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों ही कानूनी बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी मूताबिक फेसल शुमार होकर नंबर से एक– कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 16.03.26 को सर–ए–इजलास सुनाया गया

सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)